वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये ...

प्रतिवादीगण ...

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर

व इजलास श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रीमति मियण पुत्री अब्दुला पत्नि सचूखां जाति मुसलमान, निवासी हरपालिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. उस्मान पुत्र अब्दुला 2. एलियास पुत्र अब्दुला 3. इदरीश पुत्र नसीरखां जाति मुसलमान, निवासी हरपालिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

मुकदमा नम्बर : 01/2021

दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 RT Act

मियण बनाम उस्मान वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री बाबुलाल विश्नोई** एड. मिनजानिब मुदाई व मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा हरपालिया पटवार क्षेत्र हरपालिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 95, 115, 147 व 151 वर्तमान खसरा संख्या 385/95 रकबा 28.13 बीघा, खसरा संख्या 397/115 रकबा 22.05 बीघा खसरा संख्या 426/147 रकबा 12.03 बीघा, खसरा सख्या 430/151 रकबा 15.14 बीघा किस्म बारानी सोयम सम्पूर्ण रकबा 78.15 बीघा भुमि में वादीनी का 1/3 हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित किया जाता है।** तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिकी पर्चा जारी हो।

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 28/08/24 को जारी की गई।

.... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राप्ती तक .... को अदा करे।

.... को जारी की गई।

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ....

दस्तखत............

ओहदा ....

मुहर

मुदई	रूपया	पै	मुदायलाह	रूपया	पै
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए जिससे शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता श्रीराम विश्नोई मय जवाब पेश किया जिससे शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रविादी संख्या 02 के अधिवक्ता आम्बाराम पूनड़ी इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जिससे शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 03 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नही इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी वकील ने लिखित दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श ई.एक्स.पी.1 आंशिक नक्शा मौजा हरपालिया प्रदर्श ई.एक्स.पी.2 जमाबन्दी मौजा हरपालिया खेत खसरा संख्या वर्तमान खसरा संख्या 385/95 रकबा 28.13 बीघा किस्म बारानी दोयम खेत खसरा संख्या 397/115 रकबा 22.05 बीघा किस्म बारानी सोयम खेत खसरा सख्या 426/147 रकबा 12.03 बीघा किस्म बारानी सोयम खेत खसरा संख्या 430/151 रकबा 15.14 बीघा किस्म बारानी सोयम सम्पूर्ण रकबा 78.15 बीघा जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में Exhibit करवाये।

उभयपक्षकरान वकील उपस्थित। उभयपक्षकरान के वकील की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 2 ने वादी के वाद को स्वीकार किया है। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि वादी का वाद प्रारम्भिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा हरपालिया पटवार क्षेत्र हरपालिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 95, 115, 147 व 151 वर्तमान खसरा संख्या 385/95 रकबा 28.13 बीघा, खसरा संख्या 397/115 रकबा 22.05 बीघा खसरा संख्या 426/147 रकबा 12.03 बीघा, खसरा सख्या 430/151 रकबा 15.14 बीघा किस्म बारानी सोयम सम्पूर्ण रकबा 78.15 बीघा भुमि मे वादीनी का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार सेडवा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28/08/24 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फिराल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

28/8/24

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 01/2021

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का.अ.

वादी – 1. श्रीमति मियण पुत्री अब्दुला पत्नि सचूखां जाति मुसलमान, निवासी हरपालिया, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. उस्मान पुत्र अब्दुला 2. एलियास पुत्र अब्दुला 3. इदरीश पुत्र नसीरखां जाति मुसलमान, निवासी हरपालिया, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – श्री बाबुलाल विश्नोई

निर्णय

दिनांक :– 28/8/24

वादीनी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीनी के पिता स्व. अब्दुला के नाम वक्त सेटलमेंट मौजा हरपालिया में खातेदारी भूमि मुल खसरा संख्या 95, 115, 147 व 151 वर्तमान खसरा संख्या 385/95 रकबा 28.13 बीघा किस्म बारानी दोयम खेत खसरा संख्या 397/115 रकबा 22.05 बीघा किस्म बारानी सोयम खेत खसरा संख्या 426/147 रकबा 12.03 बीघा किस्म बारानी सोयम खेत खसरा संख्या 430/151 रकबा 15.14 बीघा किस्म बारानी सोयम सम्पूर्ण रकबा 78.15 बीघा आई हुई हैं उक्त भूमि का पर्चा लगान वादीनी के पिता के नाम जारी हुआ। कि सवंत.....से.....के करीब वादीनी के पिता अब्दुला का देहान्त हो गया जिस पर उनकी फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या.... भरते वक्त तत्कालीन पटवारी हल्का ने वादीनी का नाम स्व. अब्दुला की खातेदारी की विरासत का नामान्तरकरणपारित किया गया वादीनी के भाई के नाम स्व. अब्दुला की जाईन्दा पुत्री है उनका भी अपने पिता खातेदारी भूमि मे हिस्सा बनता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीनी के भाई का हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण भरने व वादीनी को ज्ञान नहीं होने से वादीनी के भाई ने राजस्व रेकर्ड का फायदा उठाकर कुछ खातेदारी भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को अलग–अलग बेचान कर दी वादीनी का वादग्रस्त भूमि में मुस्लिम विधि के अनुसार जो हिस्सा बनता था उस हिसाब से वादीनी के हिस्से में 1/3 हिस्सा भूमि आती थी जो वादीनी के पिता ने अपने जीवनकाल मे मौके पर अलग करके वादीनी को कब्जा करवाया था जिस पर आज दिन तक वादीनी का कब्ज काश्त है। वादीनी की पैतृक भूमि मौजा हरपालिया पटवार हल्का हरपालिया खेत का मुल खसरा संख्या 95, 115, 147 व 151 वर्तमान खसरा संख्या 385/95 रकबा 28.13 बीघा किस्म बारानी दोयम खेत खसरा संख्या

28/8/24

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

397 / 115 रकबा 22.05 बीघा किस्म बारानी सोयम खेत खसरा संख्या 426 / 147 रकबा 12.03 बीघा किस्म बारानी सोयम खेत खसरा संख्या 430 / 151 रकबा 15.14 बीघा किस्म बारानी सोयम सम्पूर्ण रकबा 78.15 बीघा भूमि वादीनी की पैतृक भूमि है तथा उक्त भूमि पर वादीनी का अपने पिता के जीवनकाल से कब्जा काश्त है मौके पर वादीनी की रहवासी ढाणियां, पशुवाड़े व चारागाह आदि बने हुए है। अर्सा कुछ रोज पूर्व जब प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मुझ वादीनी को आकर धमकाया व जमीन खाली करने को व जमीन से कब्जा छोडने को कहा तो हमने उनसे इसका कारण पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने हमे कहा कि उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि हमारी है तब हल्का पटवारी से वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्राप्त की तो सर्वप्रथम वादीनी को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं होने का ज्ञान हुआ व प्रतिवादीगण द्वारा हमारी कब्जे काश्त व पैतृक भूमि का कब्जा छोडने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ तो इस पर वादीनी ने अपने वकील से सम्पर्क किया एवं उक्त वाद तैयार करवाया इसके द्वारा वादीनी वादग्रस्त भूमि मूल खसरा संख्या 95, 115, 147 व 151 वर्तमान खसरा संख्या 385 / 95 रकबा 28.13 बीघा किस्म बारानी दोयम खेत खसरा संख्या 397 / 115 रकबा 22.05 बीघा किस्म बारानी सोयम खेत खसरा संख्या 426 / 147 रकबा 12.03 बीघा किस्म बारानी सोयम खेत खसरा संख्या 430 / 151 रकबा 15.14 बीघा किस्म बारानी सोयम सम्पूर्ण रकबा 78.15 बीघा मौजा हरपालिया में 1 / 3 हिस्सा अपनी खातेदारी में होना घोषित करवाना चाहती है। जिस हेतू उक्त वाद वास्ते घोषणा का पेश है। वादीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं होने व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना नाम राजस्व रेकर्ड में होने का बेजा फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 3 को बेचान कर दिया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीनी को उनकी पैतृक खातेदारी की कब्जे काश्तसुदा भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते है। इसलिए वादीनी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारिणी है कि प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि से वादीनी को जबरन बेदखल नही करे तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करे तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जिस हेतू यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। विनाया दावा जब वादग्रस्त भूमि वादीनी के पिता स्व अब्दुला के नाम दर्ज हुई तब तथा जब वादीनी के पिता देहांत हुआ तब उनकी फौतगी का नामान्तरकरण में वादीनी का नाम शामिल नही किया तब एवं अर्सा कुछ राजे पूर्व जब वादीनी को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं होने की जानकारी हुई तब तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी को उसके पैतृक कब्जे काश्त सुदा भूमि से बेदखल करने की धमकी दी तब तब उपर बयान किये अनुसार मौजा हरपालिया तहसील सेडवा में पैदा हुआ। वादग्रस्त भूमि मौजा हरपालिया पटवार क्षेत्र हरपालिया तहसील सेडवा जिला बाडमेर में मूल खसरा संख्या 95, 115, 147 व 151 वर्तमान खसरा संख्या 385 / 95 रकबा 28.13 बीघा किस्म बारानी दोयम खेत खसरा संख्या 397 / 115 रकबा 22.05 बीघा किस्म बारानी सोयम खेत खसरा संख्या 426 / 147 रकबा 12.03 बीघा किस्म बारानी सोयम खेत खसरा संख्या 430 / 151 रकबा 15.14 बीघा किस्म बारानी सोयम सम्पूर्ण रकबा 78.15 बीघा भूमि में वादीनी का 1 / 3 हिस्सा अपनी खातेदारी में होना घोषित किया जाकर उसी अनुसार तमाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

28/8/19

सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा